संख्या बीमा-20/दस-93—67(बी)-92

प्रेषक,

श्री सी0 एम0 वासुदेव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

विषय:—"उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अन्तर्गत देय धनराशि में से अन्य शासकीय देयों की वसूली किया जाना।

लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 1993

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के विचारार्थ समय-समय पर यह बिन्दु प्रस्तुत होता रहा है कि क्या "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक को देय धनराशि में से शासकीय देयों की वसूली की जा सकती है अथवा नहीं। सामूहिक बीमा योजना एक कल्याणकारी योजना है, इसलिये इसके मूल उद्देश्य एवं प्रकृति का परिशीलन करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अधीन देय धनराशि में से शासकीय देयों की वसूली न किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान किये हैं।

2—कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,
सी0 एम0 वासुदेव,
प्रमुख सचिव।

संख्या बीमा—20/(1)दस-93—67बी(92)-92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद;
2—श्री राज्यपाल का सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
3—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
4—सचिवालय के समस्त अनुभाग; तथा
5—संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
अनु सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 3 सा0 वित्त—2-4-93—(118)—1993—8,000 (हि0)।